न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2350–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–07–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम जिला रतलाम – प्रकरण कमांक 14/2013–14 अपील

1– बद्रीलाल पुत्र स्व.अमृत राम पाटीदार
2– श्रीमती लालावाई पत्नि स्व. भेरूलाल पाटीदार
3– अनोखीलाल पुत्र स्व.भेरूलील पाटीदार
4– नानालाल पुत्र स्व. भेरूलाल पाटीदार
5– बंकट पुत्र स्व. भेरूलाल पाटीदार
6– हरिश पुत्र स्व. भेरूलाल पाटीदार
सभी ग्राम नोगावां जागीर तहसील व
जिला रतलाम मध्य प्रदेश ——— आवेदकगण

विरूद्ध

कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्रजी ग्राम नौगावां जागीर
तहसील व जिला रतलाम, मध्य प्रदेश । ———अनावेदक

(श्री रबिन्द्र शर्मा अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री अखलाकउद्दीन कुरेशी अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श

(आज दिनांक 10–11– 2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम व्दारा प्रकरण कमांक 14/2013–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03–07–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने अपर तहसीलदार टप्पा विलपांक जिला रतलाम के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 , 110 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उनकी पैत्रिक कृषि भूमि सर्वे कमांक 62 रकबा 0.320 हैक्टर, 228 रकबा 3.680 हैक्टर, 130/1 रकबा 8.500 हैक्टर ग्राम नौगांवा जागीर में स्थित है। कुल किता भूमि 03 कुल रकबा 3.520 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि

अंकित किया गया है) पर अनावेदक व्दारा स्वयं को मृतक नंदु पुत्र उदा का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तरण कराते हुये बटवारा करा लिया है इसलिये अवैध इन्द्राज के आधार पर बटवारा आदेश दिनांक 30.9.03 शून्यवत होने से राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत् आवेदकगण का नाम इन्द्राज किया जावे। अपर तहसीलदार टप्पा विलपांक ने प्रकरण कमांक 5 अ 6 /13–14 दर्ज किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 20.5.14 पारित किया एंव वादोक्त भूमि पर अनावेदक का नाम कम करके आवेदकगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी रतलाम के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 14/2013–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03–07–2014 से अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.5.14 को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्थगित कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ अनावेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत करने के साथ ही मौखिक तर्क प्रस्तुत किये। आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत करने का निवेदन किया , जिस पर उन्हें 26–10–15 तक का अवसर दिया गया, किन्तु इस आदेश के पारित होने तक उन्होंने लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की है। फलतः अनावेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार एंव निगरानी मेमो के आधारों पर विचार कर यह आदेश पारित किया जा रहा है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक की बहस एंव निगरानी मेमो के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम के अंतरिम आदेश दिनांक 03–07–2014 का अवलोकन किया गया। हालॉकि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रतलाम के अंतरिम आदेश दिनांक 20.6.14, 24.6.14, 25.6.14, 26.6.14, 2–7–14 एंव 3–7–14 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है किन्तु अंतरिम आदेश दिनांक 3–7–14 अनुविभागीय अधिकारी की आखिरी आदेश पत्रिका होने एंव इस अंतरिम आदेश व्दारा अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.5.14 को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्थगित करने का तथ्य होने से निगरानी इसी आदेश के विरूद्व मानी जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम के अंतरिम आदेश दिनांक 03–07–2014 का अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने इस आदेश से अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.5.14 को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया है । म0प्र0

भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 माह नवम्बर 2011 में हुये सॅशोधन के अनुसार राजस्व न्यायालय संहिता की धारा 52 के अंतर्गत तीन माह अथवा आगामी पेशी – जो भी पूर्व हो – तक स्थगन जारी कर सकते हैं, जबकि अनुविभागीय अधिकारी रतलाम ने अंतरिम आदेश दिनांक 3–7–14 से अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.5.14 को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया है जो संहिता में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम व्दारा प्रकरण कमांक 14/2013–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03–07–2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी रतलाम के न्यायालय में दिनांक 24–6–14 को अपील प्रस्तुत होने के वाद से लम्बित चली आ रही है अतः निर्देश दिये जाते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी रतलाम उनके न्यायालय में प्रकरण प्राप्ति के दिन से हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का अंतिम निराकरण 60 दिवस के भीतर करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर